

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

. 1

05
17.05.2023

न्यायालय, उपायुक्त - सह - जिला दण्डाधिकारी, राँची
सी० सी० ए० वाद सं० - 26 / 2023

राज्य

बनाम

जीर्वाधन मुण्डा उर्फ नंदु मुण्डा पिता हराधन मुण्डा निवासी कोड़वाडीह
टोला, थाना- बुण्डू, जिला- राँची (झारखण्ड)विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 231/डी०सी०बी० दिनांक
04.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी जीर्वाधन मुण्डा उर्फ नंदु मुण्डा
पिता हराधन मुण्डा निवासी कोड़वाडीह टोला, थाना- बुण्डू, जिला-
राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a),
3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव
समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित
पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमें आरोप पत्र भी समर्पित है:-

1. बुण्डू थाना काण्ड सं०-101/19, दिनांक- 23.11.2019
धारा-387 भा०द०वि० सी०एल०ए० एक्ट
2. बुण्डू थाना दैनिकी सनहा संख्या-20/23 दिनांक- 14.02.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि
अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक-
242/2023, दिनांक 22.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया
है कि कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी जीर्वाधन मुण्डा उर्फ नंदु मुण्डा
पिता हराधन मुण्डा निवासी कोड़वाडीह टोला, थाना-बुण्डू, जिला- राँची
जो वर्तमान में जेल से बाहर है। यह एक शांतिर आदतन असामाजिक
तत्व का व्यक्ति है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति
भंग हुई थी। इनके डर से कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर पाते है।
इनके विरुद्ध और कोई भी कार्रवाई प्रभावित नहीं हो रही है। ऐसे व्यक्ति
से व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। जिससे



आदेश का क्रम ब्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a), 3 (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त भी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुए ना ही उन्होंने कारण पृच्छा ही समर्पित किया है।

प्रस्तुत मामले में विद्वान जिला लोक अभियोजक, राँची ने पत्रांक 111/23 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(1)(a), 3 (b)(1) कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि एक शातिर आदतन असामाजिक तत्व हैं, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण्ण रखने के निमित्त जीर्वाधन मुण्डा उर्फ नंदु मुण्डा पिता हराधन मुण्डा निवासी कोड़वाडीह टोला, थाना-बुण्डू, जिला- राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा-3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी जीर्वाधन मुण्डा उर्फ नंदु मुण्डा पिता हराधन मुण्डा निवासी कोड़वाडीह टोला, थाना-बुण्डू, जिला- राँची को दिनांक 22.05.2023 से दिनांक 21.08.2023 तक की अवधि के लिए बुण्डू थाना, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा-7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/-का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 21.05.2023 तक दाखिल करेंगे कि

an

